न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार वर्मा आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/647/2015

वउनवान

1. पप्पू पुत्र हुरमत जाति चकडा निवासी पटवारी का नंगला तन डोरोली
2. मुस्ताक पुत्र हुरमत जाति चकडा निवासी पटवारी का नंगला तन डोरोली
3. सददाम पुत्र हुरमत जाति चकडा निवासी पटवारी का नंगला तन डोरोली
4. जाकिर पुत्र हुरमत जाति चकडा निवासी पटवारी का नंगला तन डोरोली
5. अमीना बेबा स्व0 हुरमत जाति चकडा निवासी पटवारी का नंगला तन डोरोली
6. बुगली पुत्री हरमत पत्नी इमरत जाति चकडा निवासी पटवारी का नंगला तन डोरोली
7. रुबीया पुत्री हुरमत पत्नी मुनब्बर जाति चकडा निवासी पटवारी का नंगला तन डोरोली हाल गुटटी का नंगला तह0 कठूमर
8. समीना पुत्री हुरमत पत्नी निसार जाति चकडा निवासी गुटटी का नंगला तन डोरोली तह0 कठूमर

------ वादीगण

बनाम

1. अंगूर पुत्र सावंत खॉ जाति चकडा निवासी पटवारी का नंगला तन् डोरोली
2. अप्पू पुत्र नूरदीन जाति चकडा निवासी पटवारी का नंगला तन् डोरोली
3. नेपाली पुत्र नूरदीन जाति चकडा निवासी पटवारी का नंगला तन् डोरोली
4. वकील पुत्र नूरदीन जाति चकडा निवासी पटवारी का नंगला तन् डोरोली
5. बब्बन पुत्र नूरदीन जाति चकडा निवासी पटवारी का नंगला तन् डोरोली
6. कूकू पुत्र नूरदीन जाति चकडा निवासी पटवारी का नंगला तन् डोरोली
7. सिम्मो पुत्री नूरदीन जाति चकडा निवासी पटवारी का नंगला तन् डोरोली
8. बातो पुत्री नूरदीन जाति चकडा निवासी पटवारी का नंगला तन् डोरोली
9. उप पंजीयक कठूमर
10. तहसीलदार कठूमर

------ असल प्रतिवादीगण

11. खुर्शीद पुत्र हरमत जाति चकडा निवासी पटवारी का नंगला तन् डोरोली

12. जयकिशन पुत्र झमूरया जाति मीणा निवासी चेनपुरा तह0 कठूमर
13. शोकीन पुत्र नन्दन जाति चकडा निवासी पटवारी का नंगला तन् डोरोली
14. अलीशेर पुत्र नन्दन जाति चकडा निवासी पटवारी का नंगला
15. रूबतार पुत्री नन्दन जाति चकडा निवासी पटवारी का नंगला तहसील कठूमर जिला अलवर

------ तर0 प्रतिवादी

उपस्थित :-

श्री सुभाष चन्द अरूवा एडवोकेट : वकील वादी

निर्णय

दिनांक 08.08.2019

वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि आराजी खसरा नम्बर 525 रकबा 0.56 है0 ग्राम चैनपुरा तह0 कठूमर जिला अलवर में वाके है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही बुजुर्ग श्री गोकल के वारीसान हैं। गोकल के पुत्र चिन्नू के दो पुत्र हुरमत व नन्दन हैं। फेली तथा मीना लाबल्द बिला ओरत फोत हो गए। उक्त आराजी फेली के फोत होने के बाद चिन्नू व मीना को बहिस्सा बराबर विरासत में प्राप्त हुई। मीना के मरने के बाद उक्त आराजी के 1/2 हिस्से का इंतकाल संख्या 652 हुरमत,नन्दन पुत्र चिन्नू के हक में दिनांक 26-8-86 को दर्ज वोतस्दीक हुआ। चूंकि मीना पुत्र गोकल ने अपने हिस्से की आराजी का बयनामा अपने जीवनकाल में दिनांक 5-8-80 को अंगूर पुत्र सावंत खॉ 2/3 हिस्सा, नूरदीन पुत्र जहारिया 1/3 हिस्सा जाति चकडा निवासी पटवारी का नंगला तन डोरोली के हक में तहरीर कराकर उप पंजीयक कठूमर से तस्दीक करा दिया। जिससे बयनामा के आधार पर आराजी खसरा नं. 524 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा , 525 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा को इंतकाल संख्याा 674 अंगूर व नूरदीन के नाम दर्ज वो तस्दीक हो गया। लेकिन जमाबन्दी में उक्त इन्तकाल अंकन नहीं होने के कारण वादीगण व तर0 प्रतिवादीगण के पिता हुरमत व नन्दन का इन्द्राज बदस्तूर कायम रहा तथा दिनांक 27-7-का इन्द्राज बदस्तूर कायम रहा तथा दिनांक 27-7-91 को नन्दन ने 1/2 हिस्सा बयनामा जयकिशन पुत्र झूमरया मीना निवासी चैनपुरा के हक में तहरीर कराकर उप पंजीयक कठूमर के तस्दीक करा दिया जिसके आधार पर इन्तकाल संख्या 826 दर्ज व तस्दीक हो गया। उक्त आराजी में नन्दन का 1/4 हिस्सा था

लेकिन गलत इन्द्राज़ की वजह से 1/2 हिस्सा दर्ज था। नन्दन को 1/2 हिस्से के बजाये 1/4 हिस्सा का बयनामा कराने का हक व अधिकार था तथा वादीगण व तर0 प्रतिवादीगण संख्या 11 के पिता हुरमत का 1/4 हिस्सा था । उसके बाद इन्तकाल संख्या 674 का अमल केवल 1/4 हिस्से पर जमाबन्दी सम्वत 2058 से 61 में 1/2 के बजाये 1/4 हिस्से का अमल किया गया। तहसीलदार कठूमर के आदेश क्रमांकः भू.अ./2014/1389 दिनांक 27-8-14 द्वारा प्रतिवादीगण के बेजा साज बाज होकर वादी वो तर0 प्रतिवादीगण संख्या 11 के हिस्से की आराजी को प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 8 के नाम जमाबन्दी सम्वत 2070 लगायत 73 में अमल कर दिया। प्रतिवादीगण उक्त इन्द्राज की आड में वादीगण वो तर0 प्रतिवादीगण संख्या 11 का 1/4 हिस्से का खातेदार मानने से इन्कार कर रहे हैं। जबकि वादीगण वो तर0 प्रतिवादी संख्या 11 विवादित आराजी के 1/4 हिस्से के काबिज कृषक खातेदार हैं तथा खातेदारी प्राप्त करने के मुस्तहक हैं।

उक्त आराजी में मीना पुत्र गोकल का 1/2 हिस्सा तथा नन्दन का 1/4 हिस्सा व हुरमत का 1/4 हिस्सा था। इन्तकाल संख्या 652 द्वारा मीना का हिस्सा हुरमत व नन्दन के हक में दर्ज हो गया जबकि मीना ने अपना 1/2 हिस्सा अपने जीवनकाल में ही अंगूर व नूरदीन को बेचान कर दिया था। इन्तकाल संख्या 652 के द्वारा जमाबन्दी में नन्दन का 1/2 हिस्सा दर्ज होने के कारण नन्दन ने 1/2 हिस्से का बयनामा दिनांक 5-8-80 का इन्तकाल वाद में इन्तकाल संख्या 674 अंगूर व नूरदीन के हक में दर्ज व तस्दीक हुआ, शेष 1/2 हिस्सा जो हुरमत के नाम दर्ज था में से जमाबन्दी सम्वत 2058 लगायत 2061 में वादीगण के पिता का नाम कलमजन कर प्रतिवादीगण का नाम दर्ज तस्दीक कर दिया। शेष 1/4 हिस्सा जो नन्दन के नाम था बयनामा नन्दन ने जयकिशन के नाम कराया था जिसके आधार पर जमाबन्दी में जयकिशन के नाम इन्द्राज होने के कारण 1/4 हिस्से का इंतकाल संख्या 674 का अमल नहीं हो सका। वादीगण ने उक्त इन्द्राज को कलमजन कराकर उक्त 1/4 हिस्सा पर अपने नाम पुनः इन्द्राज कराने के लिए दावा पेश किया है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं। वादी द्वारा प्रतिवादीगण की तलबी रजिस्टर्ड डांक की पी.ओ. की रसीद पेश की। बावजूद रजि0 डाक तामील के प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं हुए। इस वजह से प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षिय कार्यवाही की गई।

वादी ने अपने दावा के साथ जमाबन्दी संवत 2058 से 2061 प्रदर्श–1, जमाबन्दी संवत 2042, जमाबन्दी संवत 2037, इन्तकाल संख्या 673,674,652,773,826 व नकल बयनामा दिनांक 5–8–80 , नकल बयनामा दिनांक 27–7–91, नकल आदेश दिनांक 27–8–14 तहसीलदार कठूमर, नकल नामांतरण संख्या 673, नकल नामांतरण संख्या 674, नकल नामांतरण संख्या 773, नकल नामांतरण संख्या 826, नकल मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का डोरोली दिनांक 27–8–14 , नकल कानूनी नोटिस दिनांक 9–9–15 , नकल नोटिस रसीद दिनांक 9–9–15 साक्ष्य स्वरूप संलग्न है। जो शामिल पत्रावली है।

वादीगण ने अपने दावा की ताईद में पी डब्लू 1 पप्पू पुत्र हरमत व पी डब्लू 2 हमीद पुत्र कमरू मुसलमान निवासी पटवारी का नंगला के हल्फनामा पेश कर बयान कराये गए हैं।

बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया। रिकॉर्ड के अनुसार बयनामा के आधार पर आराजी खसरा नं. 524 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा , 525 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा को इंतकाल संख्याा 674 अंगूर व नूरदीन के नाम दर्ज वो तस्दीक किया गया। लेकिन जमाबन्दी में उक्त इन्तकाल अंकन नहीं होने के कारण वादीगण व तर० प्रतिवादीगण के पिता हुरमत व नन्दन का इन्द्राज बदस्तूर कायम रहा तथा दिनांक 27–7–91 को नन्दन ने 1/2 हिस्सा बयनामा जयकिशन पुत्र झूमरया मीना निवासी चैनपुरा के हक में तहरीर कराकर उप पंजीयक कठूमर के तस्दीक करा दिया जिसके आधार पर इन्तकाल संख्या 826 दर्ज व तस्दीक हो गया। उक्त आराजी में नन्दन का 1/4 हिस्सा था लेकिन गलत इन्द्राज की वजह से 1/2 हिस्सा दर्ज था। नन्दन को 1/2 हिस्से के बजाये 1/4 हिस्सा का बयनामा कराने का हक व अधिकार था तथा वादीगण व तर० प्रतिवादीगण संख्या 11 के पिता हुरमत का 1/4 हिस्सा था । उसके बाद इन्तकाल संख्या 674 का अमल केवल 1/4 हिस्से पर जमाबन्दी सम्वत 2058 से 61 में 1/2 के बजाये 1/4 हिस्से का अमल किया गया। तहसीलदार कठूमर के आदेश कमांकः भू.अ./2014/1389 दिनांक 27–8–14 द्वारा प्रतिवादीगण के बेजा साज बाज होकर वादी वो तर० प्रतिवादीगण संख्या 11 के हिस्से की आराजी को प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 8 के नाम जमाबन्दी सम्वत 2070 लगायत 73 में अमल कर दिया। प्रतिवादीगण उक्त इन्द्राज की आड में वादीगण वो तर० प्रतिवादीगण संख्या 11 का 1/4 हिस्से का खातेदार मानने से इन्कार कर रहे हैं। जबकि वादीगण वो तर० प्रतिवादी संख्या 11 विवादित आराजी के 1/4 हिस्से के काबिज कृषक खातेदार साबित होते है।

उक्त आराजी में मीना पुत्र गोकल का 1/2 हिस्सा तथा नन्दन का 1/4 हिस्सा व हुरमत का 1/4 हिस्सा था। इन्तकाल संख्या 652 द्वारा मीना का हिस्सा हुरमत व नन्दन के हक में दर्ज हो गया जबकि मीना ने अपना 1/2 हिस्सा अपने जीवनकाल में ही अंगूर व नूरदीन को बेचान कर दिया था। इन्तकाल

संख्या 652 के द्वारा जमाबन्दी में नन्दन का 1/2 हिस्सा दर्ज होने के कारण नन्दन ने 1/2 हिस्से का बयनामा दिनांक 5–8–80 का इन्तकाल वाद में इन्तकाल संख्या 674 अंगूर व नूरदीन के हक में दर्ज व तस्दीक हुआ, शेष 1/2 हिस्सा जो हुरमत के नाम दर्ज था में से जमाबन्दी सम्वत 2058 लगायत 2061 में वादीगण के पिता का नाम कलमजन कर प्रतिवादीगण का नाम दर्ज तस्दीक कर दिया। शेष 1/4 हिस्सा जो नन्दन के नाम था बयनामा नन्दन ने जयकिशन के नाम कराया था जिसके आधार पर जमाबन्दी में जयकिशन के नाम इन्द्राज होने के कारण 1/4 हिस्से का इंतकाल संख्या 674 का अमल नहीं होना पाया जाता है। अतः दावा वादीगण सावित होने से डिक्री योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः दावा वादी डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 525 रकवा .56 हे. वाके ग्राम चैनपुरा तहसील कठूमर का वादीगण एवं तर0 प्रतिवादी संख्या 11 का 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार कठूमर के आदेश क्रमांक :भू.अ./2014/1389 दिनांक 29–03–14 के आधार पर हुए इन्द्राज को कलमजन किया जाता है। तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो वादीगण एवं तर0 प्रतिवादीगण संख्या 11 को आराजी खसरा नं. 525 रकबा 0.56 है0 वाके चैनपुरा के 1/4 के हिस्से पर काश्त संबंधी कार्य करने में किसी प्रकार की रूकावट मजाहमत पैदा न करें, जबरन बेदखल कर खुद कब्जा न करें एवं रहन बेय न करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो व वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(नरेन्द्र कुमार वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

आज दिनांक 08.08.2019 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेन्द्र कुमार वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

पर्चा डिक्री

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार वर्मा आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/647/2015

वउनवान

1. पप्पू पुत्र हुरमत जाति चकडा निवासी पटवारी का नंगला तन डोरोली
2. मुस्ताक पुत्र हुरमत जाति चकडा निवासी पटवारी का नंगला तन डोरोली
3. सददाम पुत्र हुरमत जाति चकडा निवासी पटवारी का नंगला तन डोरोली
4. जाकिर पुत्र हुरमत जाति चकडा निवासी पटवारी का नंगला तन डोरोली
5. अमीना बेबा स्व0 हुरमत जाति चकडा निवासी पटवारी का नंगला तन डोरोली
6. बुगली पुत्री हरमत पत्नी इमरत जाति चकडा निवासी पटवारी का नंगला तन डोरोली
7. रुबीया पुत्री हुरमत पत्नी मुनब्बर जाति चकडा निवासी पटवारी का नंगला तन डोरोली हाल गुटटी का नंगला तह0 कठूमर
8. समीना पुत्री हुरमत पत्नी निसार जाति चकडा निवासी गुटटी का नंगला तन डोरोली तह0 कठूमर

------ वादीगण

बनाम

1. अंगूर पुत्र सावंत खॉ जाति चकडा निवासी पटवारी का नंगला तन् डोरोली
2. अप्पू पुत्र नूरदीन जाति चकडा निवासी पटवारी का नंगला तन् डोरोली
3. नेपाली पुत्र नूरदीन जाति चकडा निवासी पटवारी का नंगला तन् डोरोली
4. वकील पुत्र नूरदीन जाति चकडा निवासी पटवारी का नंगला तन् डोरोली
5. बब्बन पुत्र नूरदीन जाति चकडा निवासी पटवारी का नंगला तन् डोरोली
6. कूकू पुत्र नूरदीन जाति चकडा निवासी पटवारी का नंगला तन् डोरोली
7. सिम्मो पुत्री नूरदीन जाति चकडा निवासी पटवारी का नंगला तन् डोरोली
8. बातो पुत्री नूरदीन जाति चकडा निवासी पटवारी का नंगला तन् डोरोली
9. उप पंजीयक कठूमर
10. तहसीलदार कठूमर

------ असल प्रतिवादीगण

------ असल प्रतिवादीगण

11. खुर्शीद पुत्र हरमत जाति चकडा निवासी पटवारी का नंगला तन् डोरोली

12. जयकिशन पुत्र झमूरया जाति मीणा निवासी चेनपुरा तह0 कठूमर

13. शोकीन पुत्र नन्दन जाति चकडा निवासी पटवारी का नंगला तन् डोरोली

14. अलीशेर पुत्र नन्दन जाति चकडा निवासी पटवारी का नंगला

15. रूबतार पुत्री नन्दन जाति चकडा निवासी पटवारी का नंगला तहसील कठूमर जिला अलवर

------ तर0 प्रतिवादी

उपस्थित :–

श्री सुभाष चन्द अरूवा एडवोकेट : वकील वादी

दावा हुकमइन्तनाई दवामी

दावा वादी डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 525 रकवा .56 हे. वाके ग्राम चैनपुरा तहसील कठूमर का वादीगण एवं तर0 प्रतिवादी संख्या 11 का 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार कठूमर के आदेश क्रमांक :भू.अ./2014/1389 दिनांक 29–03–14 के आधार पर हुए इन्द्राज को कलमजन किया जाता है। तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो वादीगण एवं तर0 प्रतिवादीगण संख्या 11 को आराजी खसरा नं. 525 रकबा 0.56 है0 वाके चैनपुरा के 1/4 के हिस्से पर काश्त संबंधी कार्य करने में किसी प्रकार की रूकावट मजाहमत पैदा न करें, जबरन बेदखल कर खुद कब्जा न करें एवं रहन बेय न करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो व वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक 08.08.2019 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से जारी की गई।

(नरेन्द्र कुमार वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर